

प्रेषक,

बाकर शमीम रिजवी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-5, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार झाँ
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
जनपद बलरामपुर।

द्वारा- जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषय-वार्षिक गोपनीय प्रविष्टिवर्ष-2021-2022 के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान सादर अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष-2021-2022 दिनांक-20.07.2022 को प्रेषित की गयी है, जिसके कालम संख्या-01 (e)(iii) में अंकित किया गया है कि-

However he has not disposed of any case falling under 10 year old category against total pendency of 250 such cases.

जबकि प्रार्थी द्वारा जो SELF ASSESSMENT APPLICATION 2021-2022 Submit किया गया था, उसके कालम नं०-2B(II) में दस वर्षों से अधिक लम्बित एवं निस्तारित वादों की संख्या क्रमशः 250 व 70 दर्शित की गयी है। जबकि श्रीमान् जी द्वारा अपनी **वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष-2021-2022** में दस वर्षों से अधिक प्राचीन लम्बित वादों की संख्या 250 दर्शित की गयी है एवं निस्तारित वादों की संख्या निल दर्शित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी श्रीमान् जी से यह जानना चाहता है कि श्रीमान् जी द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष-2021-2022 में उल्लिखित टिप्पणी की " **However he has not disposed of any case falling under**

10 year old category against total pendency of 250 such cases.” किस सूचना के आधार पर अंकित की गयी है। कृपया प्रार्थी को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि प्रार्थी समय सीमा के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

“ससम्मान”

दिनांक.03.08.2022

भवदीय,

(बाकर शमीम रिजवी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 5, कानपुर देहात।

संलग्नक:

उपरोक्तानुसार।

3-8-22